# बिहार सरकार
## शिक्षा विभाग

पत्रांक– ब0आ0-1459/2/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No- 277153)..... 14

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल, पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 06/05/2026

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा – आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

**विषय :–** वित्तीय वर्ष 2026–27 में शिक्षा विभाग अंतर्गत राज्य के प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रति माह अधिकतम 26 दिन के कार्य अवधि के लिए विद्यालयों में शौचालय की साफ–सफाई, विद्यालय परिसर की सफाई, बेंच–डेस्क की सफाई, कक्षा में झाड़ू–पोछा के लिए 195.00 करोड़ (एक सौ पंचानवें करोड़ रूपये) मात्र के स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

**आदेश :–** स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय पत्रांक 247/गो० दिनांक 16.08.2023 के आलोक में प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शौचालयों की साफ–सफाई के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग कक्ष, शौचालय, टेबल–कुर्सी एवं बेंच–डेस्क, विद्यालय परिसर की प्रतिदिन साफ–सफाई हेतु आउट सोर्सिंग प्रक्रिया के तहत हाउसकीपिंग एजेंसियों के माध्यम से की जा रही है एवं टॉयलेट शीट के आधार पर एक दर भी तय कर दिया गया है। इन एजेंसियों को आवश्यकतानुसार सफाई कर्मी एवं साफ–सफाई हेतु सामग्रियाँ जैसे– फिनाईल, हार्पिक, ब्रश, बाल्टी, मग, झाड़ू आदि उपलब्ध कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में उक्त कार्य किये जाने लिए हाउसकीपिंग की सेवा लिए जाने के विरूद्ध प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय 95.00 करोड़ रूपये तथा माध्यमिक विद्यालय में 100.00 करोड़ रूपये अर्थात कुल 195.00 करोड़ (एक सौ पंचानवें करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 उक्त स्वीकृत राशि की निकासी के लिए बजटीय शीर्ष निम्न है–

क. उक्त स्वीकृत राशि में से 95.00 करोड़/–(पंचानवें करोड़ रूपये) मात्र के व्यय का विकलन मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष–01–प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष–101–राजकीय प्रारंभिक विद्यालय, उपशीर्ष–0003–प्रारंभिक विद्यालयों के अनुश्रवण, विपत्र कोड–21–2202–01–101–0003 के विषय शीर्ष–28.04–व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवायें मद से किया जाएगा।

ख. उक्त स्वीकृत राशि में से 100.00 करोड़/–(सौ करोड़ रूपये) मात्र के व्यय का विकलन मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष–02–माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष–109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उपशीर्ष–0005–माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अनुश्रवण, विपत्र कोड–21–2202–02–109–0005 के विषय शीर्ष–28.04–व्यावसायिक/कला/ तकनीकी सेवायें मद से किया जाएगा।

3 प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/प्रभारी, प्रधानाध्यापक या प्राचार्य उपस्थिति विवरणी, टॉयलेट यूनिट की संख्या एवं समय सारणी तालिका हेतु एक पंजी पर प्रतिदिन हस्ताक्षर करेंगे और माह के अन्तिम सप्ताह में यह विवरणी BEO को उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित BEO समेकित करते हुए टॉयलेट यूनिट की संख्या के आधार पर राशि विवरणी बनाकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को उपलब्ध

करायेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) सम्बन्धित हाउसकीपिंग एजेंसी को Payee ID बनाकर राशि का भुगतान करेंगे।

4 विभागीय पत्रांक 04/वि–16 43/2023/1515 दिनांक–23.08.2023 द्वारा विषयांकित कार्य के लिए दर निम्नवत निर्धारित किया गया है।

क. Sweeper Rate-Rs 50/-(Inclusive of all taxes) per Toilet per School per day for Primary & Middle School.

ख. Sweeper Rate-Rs 100/-(Inclusive of all taxes) per Toilet per School per day for Secondary/Senior Secondary School.

5 उल्लेखनीय है कि दर निर्धारण प्रति Toilet के आधार पर किया गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे सफाई–कर्मी केवल Toilet की सफाई करेंगे। उक्त सफाई–कर्मी को पुरे विद्यालय के सभी कमरों, फर्नीचर, बेंच–डेस्क एवं मैदान इत्यादि की भी सफाई करनी होगी।

6 निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एजेंसी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में शौचालय के साथ–साथ सम्पूर्ण विद्यालय के साफ–सफाई का कार्य किया जाएगा। साफ–सफाई कार्य के अंतर्गत संबन्धित एजेंसी को सभी कक्षाओं की सम्पूर्ण सफाई, बेंच–डेस्क की सफाई, सभी उपकरण की सफाई, Dusting, फर्श का झाड़ू–पोछा, गटर की सफाई, शौचालयों की सम्पूर्ण सफाई, बाहरी क्षेत्र की सफाई एवं Vegetation, Dustbin Disposal, सभी दिवार, छत, दरवाजा, सीढ़ी,, बरामदा इत्यादि का सफाई कार्य नियमित रूप से किया जाएगा।

7 ऐसा प्रायः देखा जाता है कि एजेंसी के भुगतान में कार्यालय द्वारा जान बुझकार विलम्ब की जाती है। अतः विभाग जिलों में अपेक्षा करता है कि एजेंसी को भुगतान महीने के प्रथम सप्ताह में कर दी जाय। साथ ही हाउसकीपिंग एजेंसी को यह ज्ञात होना चाहिए कि उनके द्वारा जिन सफाई कर्मी से सेवा ली गई है वे महीने के अंतिम कार्य अवधि को अपने स्त्रोत से भुगतान निश्चित रूप से कर दें।

8 कंडिका–6 का अनुपालन जो हाउसकीपिंग एजेंसी नहीं करता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक/प्राचार्य की अनुशंसा पर संबंधित एजेंसी को आर्थिक दण्ड अथवा काली सूची में दर्ज करायी जाय।

9 प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1–5 में न्यूनतम दो यूनिट, मध्य विद्यालय वर्ग 6–8 में न्यूनतम तीन यूनिट, प्रारंभिक विद्यालय वर्ग 1–8 में न्यूनतम चार यूनिट तथा माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9–12 में न्यूनतम आठ यूनिट की दर से पारिश्रमिक तय की जाय। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी टॉयलेट शीट की संख्या तय करते समय विद्यालय के आधारभूत संरचना/वर्ग कक्ष/बेंच–डेस्क, टेबुल–कुर्सी/विद्यालय परिसर एवं मैदान की साफ–सफाई को ध्यान में रखेंगे और व्यवहारिक रूप से पारिश्रमिक का निर्धारण करेंगे ताकि हाउसकीपिंग एजेंसी के सफाई कर्मी को आर्थिक नुकसान कम से कम हो, और उसे एक व्यवहारिक पारिश्रमिक मिल सकें।

10 ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि प्रायः यह देखा गया है कि माध्यमिक विद्यालय में 20–20 वर्ग कक्ष के विद्यालय के लिए 2 टॉयलेट यूनिट के हिसाब से दैनिक मजदूरी तय कर दिया गया है जो अव्यवहारिक है। यह कतई संभव नहीं है कि सफाई कर्मी आपके 20–20 वर्ग कक्ष, बेंच डेस्क, टेबुल–कुर्सी, विद्यालय परिसर की सफाई प्रतिदिन करें और उसे 2 टॉयलेट यूनिट की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाय। नतीजा यह होता है कि कुछ ही दिनों में हाउसकीपिंग एजेंसी का सफाई कर्मी भाग जाता है।

11 जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी हाउसकीपिंग एजेंसी से एक साल की कार्य अवधि के लिए अनुबंध इस शर्त के साथ करेंगे कि उनके द्वारा विभागीय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निदेश का पालन करेंगे। साथ ही एजेंसी द्वारा Security Money के रूप में 5.00 लाख रूपये मात्र का ड्राफ्ट अपने खाते में सुरक्षित रख लें।

12 हाउसकीपिंग एजेंसी अपने सफाई कर्मियों को इस प्रकार प्रशिक्षित करेंगे कि सफाई के दौरान विद्यालय के नियमित काम–काज प्रभावित न हों तथा सफाई सामग्री निश्चित रूप से प्रधानाध्यापक

को Receive करा लें एवं वह सामग्री प्राधानाध्यापक अथवा कोई अन्य वरीय शिक्षक (प्रधानाध्यापक द्वारा प्राधिकृत) सफाई कर्मी को प्रतिदिन उपलब्ध करायें।

13 उक्त मद का मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा तथा बजट शाखा, जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं विद्यालय स्तर पर प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/प्रधानाध्यापक करेंगे।

14 जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अपने विद्यालय की साफ–सफाई से संतुष्ट होने पर ही संबंधित एजेंसी को भुगतान करेंगे।

15 राशि का आवंटन जिलों से प्राप्त मांग पत्र/निदेशालयों द्वारा समर्पित पत्रों/निदेश के आधार पर संबंधित जिलों को दिया जायेगा। आवंटित राशि जिलो द्वारा खर्च नहीं किये जाने की स्थिति में सामंजन कर अन्य जिलों को मांग के आधार पर आवंटित कर दी जायेगी।

16 राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा वित्त विभाग के संकल्प सं0–12888, दिनांक–03.12.2024 एवं वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जाएगी।

17 अभिश्रव में भारित GST एवं IT का नियमानुसार भुगतान सरकार को कराने की जिम्मेवारी एजेंसी की होगी तथा निर्धारित समयवधि में इसे जमा किये जाने का साक्ष्य जिला को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

18 वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

19 राशि का विचलन अन्य मदों में किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

20 संचिका संख्या– ब0आ0-1459/2/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No- 277153) के नोट संख्या 467/टि० पर राशि की निकासी में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

21 संचिका संख्या– ब0आ0-1459/2/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No- 277153) के नोट संख्या 474/टि० पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– ब0आ0-1459/2/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No- 277153) ...14....पटना, दिनांक– 06/05/2026

प्रतिलिपि :–संबंधित कोषागार पदाधिकारी/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद/निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/उप निदेशक (प्रशासन)–सह–बजट पदाधिकारी/निदेशक प्रशासन/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.5.26
सरकार के उप सचिव